2017 का विधेयक संख्यांक 59

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी ।
4. अधिकारियों का अधिप्रमाणन ।
5. अधिकारियों की शक्तियां ।
6. कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में केन्द्रीय कर के अधिकारियों को प्राधिकार देना ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. उद्ग्रहण और संग्रहण ।
8. कर से छूट प्रदान करने की शक्ति ।

अध्याय 4

कर का संदाय

9. कर का संदाय ।
10. निवेश कर प्रत्यय का अंतरण ।

अध्याय 5

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

11. अधिकारियों को समुचित अधिकारियों द्वारा सहायता की अपेक्षा ।

अध्याय 6

माल और वसूली

12. दोषपूर्वक संगृहीत कर और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय ।
13. कर की वसूली ।

अध्याय 7

अग्रिम विनिर्णय

14. परिभाषाएं ।

खंड

15. अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण का गठन ।

16. अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन ।

अध्याय 8

संक्रमणकालीन उपबंध

17. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।

18. निवेश कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।

19. फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।

20. प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

21. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होना ।

22. नियम बनाने की शक्ति ।

23. विनियम बनाने की साधारण शक्ति ।

24. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

25. अनुदेश या निदेश देने की शक्ति ।

26. कठिनाइयों को दूर करना ।

2017 का विधेयक संख्यांक 59

[दि यूनियन टेरीटरी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017

संघ राज्यक्षेत्र द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है ।

(2) इस अधिनियम का विस्तार अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, चंडीगढ़ और अन्य राज्यक्षेत्रों पर हैं ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उक्त उपबंध के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो,—

(1) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसका इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ;

(2) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का आयुक्त अभिप्रेत है ;

(3) "अभिहित प्राधिकारी" से आयुक्त द्वारा अधिसूचित ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) "छूट प्रदाय" से किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है जो कर की शून्य दर पर हैं या जो धारा 8 के अधीन कर से छूट प्राप्त हो सकेगा या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन है और जिसके अंतर्गत गैर कराधेय प्रदाय भी है ;

(5) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर कर या शुल्क के उद्ग्रहण या संग्रहण से संबंधित कोई विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम या संसद् द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व बनाए गए या पारित या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखता है, अभिप्रेत है ;

(6) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रशासक या कोई अन्य प्राधिकारी या कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(7) किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, "निर्गम कर" से उसके द्वारा या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा माल या सेवा या दोनों के कराधेय प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत है किंतु इसमें प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर उसके द्वारा संदाय योग्य कर नहीं होगा ;

(8) "संघ राज्यक्षेत्र" से निम्नलिखित राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं,—

(i) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ii) लक्षद्वीप ;

(iii) दादरा और नागर हवेली ;

(ii) दमण और दीव ;

(v) चंडीगढ़ ; या

(vi) अन्य राज्यक्षेत्र ;

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपखंड (i) से खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्यक्षेत्र एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र के रूप में विचार में लिया जाएगा ;

(9) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(10) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकृत अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की अपेक्षा के लिए प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों और अधिकारियों के ऐसे अन्य वर्ग नियुक्त कर सकेगा और ऐसे अधिकारी ऐसे

प्रयोजनों के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, उचित अधिकारी समझे जाएंगे :

परंतु विद्यमान विधि के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझे जाएंगे ।

अधिकारियों का अधिप्रमाणन ।

4. प्रशासक, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रशासन के लिए संघ राज्यक्षेत्र के सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे के संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

अधिकारियों की शक्तियां ।

5. (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र के किसी अधिकारी को अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) संघ राज्यक्षेत्र कर का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और प्रदत्त या कर्तव्यों का निर्वहन करने को संघ राज्यक्षेत्र के किसी अन्य अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ हैं, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, अपनी शक्तियों का इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, अपने किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपीलीय प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र कर के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने और कर्तव्यों के निर्वहन करने या अधिरोपित नहीं करेगा ।

कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में केन्द्रीय कर के अधिकारियों को प्राधिकार देना ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वह केन्द्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी को माल की प्रज्ञापना के अधीन उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत यथा प्राधिकृत केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई आदेश भी जारी कर सकेगा ;

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन कोई समुचित अधिकारी किसी विषय वस्तु पर कोई कार्यवाही प्रारंभ करता है, उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

उद्ग्रहण और संग्रहण ।

7. (1) धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य और दरों पर, मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय के सिवाय माल या सेवा या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर संघ राज्यक्षेत्र कर नामक कर उद्गृहीत होगा, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, जो बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अधिसूचित कर सकेगी और ऐसी रीति में संगृहीत होगा जो विहित की जाए तथा कराधेय व्यक्ति संदत्त होगा ।

(2) पैट्रोलियम अपरिष्कृत, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पैट्रोल के रूप में

ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर, संघ राज्यक्षेत्र कर ऐसी तारीख से प्रभावी और उद्गृहीत होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, माल या सेवा के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों पर या दोनों के प्रदाय के लिए कर, जो इस अधिनियम के सभी उपबंधों के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर जो ऐसे प्राप्तकर्ता को लागू हो, संदत्त होगा यदि वह ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हैं ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र कर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त होगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जो ऐसे प्राप्तकर्ता को लागू हो यदि वह ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है ।

(5) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों अंतरराज्यिक प्रदाय पर जो इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त होगा, यदि ऐसी सेवाएं उसके माध्यम से प्रदाय की जाती है और इस अधिसूचना के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक के रूप में लागू होते हैं यदि वह प्रदायकर्ता ऐसी सेवा के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी है :

परंतु जहां कोई इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक का प्रतिनिधित्व करता है, कर का संदाय के लिए दायी होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है और वह उक्त राज्यक्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर का संदाय के लिए दायी होगा ।

कर से छूट प्रदान करने की शक्ति ।

8. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वह परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा या तो पूर्ण रूप से साधारणतया या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, के प्रभाव के साथ उद्गृहणीय योग्य कर के संपूर्ण या किसी भाग से किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के माल या सेवा या दोनों से सामान्यतया छूट प्रदान कर सकेगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वह परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसे आदेश में आपवादिक प्रकृति के परिस्थितियों के अधीन ऐसे माल या सेवा या दोनों जिन पर कर दायी है, कर संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने के स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक या समीचीन विचार करती है, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश के जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अंतःस्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसा स्पष्टीकरण वही प्रभाव रखेगा यदि वह, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश के पहले भाग में होता ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां कोई माल या सेवा या दोनों के संबंध में,

उद्गृहणीय कर के किसी संपूर्ण या किसी भाग से कोई छूट पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय पर प्रभावी कर से आधिक्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे माल या सेवा या दोनों के संदाय पर कोई कर संगृहीत नहीं होगा ।

अध्याय 4

कर का संदाय

कर का संदाय ।

9. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मद्दे इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध निवेश कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर प्रथमतया एकीकृत कर के संदाय में उपयोग किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र के उक्त क्रम में संदाय हेतु उपयोग में ली जाएगी ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र कर प्रथमतया संघ राज्यक्षेत्र कर में उपयोग में लिया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हों, एकीकृत कर के संदाय हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा ;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र कर केन्द्रीय कर संदाय के मद्दे उपयोग में नहीं ली जा सकेगी ।

निवेश कर प्रत्यय का अंतरण ।

10. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विधिमान्य विवरणी में यथादर्शित, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर के निवेश प्रत्यय कर के उपयोग पर, संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में संगृहीत रकम से ऐसी प्रतिदेय के किसी रकम के समतुल्य कटौती की जाएगी जो इस प्रकार उपयोग की गई है और केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम से ऐसी कटौती की गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत खाते को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, अंतरित करेगा ।

अध्याय 5

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

अधिकारियों को समुचित अधिकारियों द्वारा सहायता की अपेक्षा ।

11. (1) इस अधिनियम के अनुपालन में समुचित अधिकारियों को सभी पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे सभी अधिकारी जिसके अतंर्गत ग्राम अधिकारी और केन्द्रीय कर अधिकारी तथा राज्य कर अधिकारी भी हैं, की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार, इस अधिनियम का अनुपालन करने में समुचित अधिकारियों को सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी अन्य वर्ग के अधिकारियों की अपेक्षा कर सकेगी जब आयुक्त द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए ।

अध्याय 6

माल और वसूली

दोषपूर्वक संगृहीत कर और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय ।

12. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अंतरराज्यीय प्रदाय पर, जो कि उसके द्वारा माने गए किसी संव्यवहार पर, जो केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करता है किंतु जिसे बाद में किसी अंतरराज्यीय प्रदाय को धारित कर दिया गया है, इस प्रकार संदत्त की गई कर की रकम को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन उसे प्रतिदाय की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अंतरराज्यीय प्रदाय पर उसके द्वारा विचार किए गए किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर का संदाय करता है किंतु जिसे बाद में किसी अंतरराज्यीय प्रदाय को धारित कर दिया गया है, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय योग्य रकम पर किसी ब्याज पर संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

कर की वसूली ।

13. (1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम संदेय है और जो कि असंदत्त है, केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी, उक्त कर के बकाया के रूप में वसूली के अनुक्रम के दौरान, केन्द्रीय कर के बकाया के रूप में उक्त व्यक्ति से रकम की वसूली कर सकेगा और इस प्रकार वसूली की गई रकम को संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित शीर्ष के अधीन सरकार के खाते में जमा करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम इस अधिनियम तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन सरकार को शोध्य रकम से कम है, संघ राज्यक्षेत्र कर और केन्द्रीय कर के रूप में शोध्य रकम को आनुपातिक रूप में सरकार के खाते में जमा होगी ।

अध्याय 7

अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं ।

14. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी आवेदक को माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए परिवचन या प्रस्तावित परिवचन के संबंध में, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों पर या प्रश्नों पर किसी आवेदक को प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है ;

(ख) "अपीलीय प्राधिकरण" से धारा 16 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "आवेदन" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 15 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण का गठन ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए (संघ राज्यक्षेत्र का नाम) प्राधिकरण के रूप में ज्ञात किसी प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने को किसी राज्य या अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राधिकरण को अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(i) केन्द्रीय कर अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii) संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों में से एक सदस्य,

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होंगे ।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवाओं की शर्तें और निबंधन वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए (संघ राज्यक्षेत्र का नाम) अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ज्ञात किसी अपीलीय प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने को किसी राज्य या अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपीलीय प्राधिकरण को अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) अपीलीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(i) बोर्ड द्वारा अभिहित रूप में केन्द्रीय कर का मुख्य आयुक्त ; और

(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले संघ राज्यक्षेत्र कर का आयुक्त ।

अध्याय 8

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।

17. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता तथा रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि वह इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रदान किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

निवेश कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।

18. (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उसे देने के नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति अवधि के संबंध में विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, की रकम को अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में उक्त दिन के पश्चात् किंतु नब्बे दिन के पश्चात् नहीं, ऐसी रीति में जो विहित की जाए लेने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में जमा करने को अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) जहां जमा की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है ; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि में विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

(iii) जहां सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विक्रय किए गए मालों के संबंध में जमा की उक्त रकम है :

1956 का 74

परंतु यह और कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 या धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) के संबंध में कोई दावे को उक्त प्रत्यय के रूप में बहुत अधिक है माना जा सकता है, वह उक्त और केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं होते हैं, इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में जमा होने के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में का सारभूत उक्त दावा होगा जब विद्यमान विधि के अधीन दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट जमा के समतुल्य रकम है ।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदेय करने का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त निवेश कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय है

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अनुपभुक्त निवेश कर प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि निवेश कर प्रत्यय की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने निवेश कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है । विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो विद्यमान विधि के अधीन कर छूट मालों या कर मुक्त मालों या माल जिन पर संघ राज्यक्षेत्र में उनके विक्रय के पहले विन्दु पर कर देय है और विद्यमान विधि के अधीन जो संघ राज्यक्षेत्र में पश्चावर्ती विक्रय कर के अधीन है के विक्रय में लगा था (करमुक्त माल) किंतु इस अधिनियम के अधीन कर का दायी है या जहां कोई व्यक्ति माल के विक्रय के समय निवेश कर प्रत्यय के प्रत्यय का हकदार था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत दिन पर, स्टाक के धारण के अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट स्टाक और निवेश में धारित निवेशों के संबंध में, यदि कोई हो, मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में ले सकने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के आशय से ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश कर प्रत्यय के लिए दायी होगा ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे निवेशों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के अन्य विहित दस्तावेज रखेगा ;

(iv) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर नहीं जारी किए गए ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज :

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में कर के संदाय की साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ प्राप्त करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसा जमा करता है ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन कराधेय माल के साथ-साथ कर छूट

माल या करमुक्त मालों के विक्रय में लगा था किंतु इस अधिनियम के अधीन जो कर का दायी है, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, की जमा का रकम ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में स्टाक में रखे गए निवेश के संबंध में ऐसे छूटप्राप्त मालों (या कर मुक्त मालों के संबंध में नियत तिथि पर स्टाक में अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट निवेश) मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर की जमा रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के बही खातों में उसे अभिलिखित बीजक या कोई अन्य कर संदाय दस्तावेज के अधीन रहते हुए नियत तिथि को या उसके पश्चात् प्राप्त निवेश के संबंध में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा किंतु कर के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त होगा :

परंतु पर्याप्त कारण दर्शित करने के लिए तीस दिन की अवधि, तीस दिन की और अधिक अवधि के लिए आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं के निवेश को स्टाक में धारित निवेश के संबंध में मूल्यवर्धित कर की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या माल या प्रयोग किए गए मालों या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के लिए ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर की धारा 10 के अधीन संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेश कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन जमा की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी जो विहित की जाए ।

फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।

19. (1) नियत दिन के पूर्व विद्यमान विधेयक उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई निवेश कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और अग्रिम प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भेजा जाता है और ऐसी निवेश उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात्, नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर उक्त स्थान पर ऐसी वापसी होती है पूर्ण होने के पश्चात् या अन्यथा ऐसा फुटकर काम वापस आता है, यदि ऐसे निवेश पर कोई कर संदेय नहीं होगा :

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त

अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि ऐसा निवेश छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो निवेश कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने का दायी होगा ।

(2) जहां कोई अर्ध-निर्मित माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापस लौटाया जाता हैं तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढाई जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा के विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो निवेश कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने का दायी होगा :

परंतु यह कि माल को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, उक्त माल को नियत दिन से, भारत में कर के संदाय पर, यथास्थिति, छह मास के भीतर या बढाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए कर का संदाय किए बिना वहां से प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों को उक्त माल का अंतरण कर सकेगा ।

(3) जहां कोई माल परीक्षण कराने या किसी अन्य प्रक्रिया करने के लिए किसी अन्य परिसर को, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कर का संदाय किए बिना कारबार के स्थान से प्रेषित किया गया था और ऐसा माल नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर ऐसे स्थान को लौटा दिया जाता है :

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढाई जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो निवेश कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने का दायी होगा :

परंतु यह भी कि माल को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, उक्त माल को नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या बढाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए कर का संदाय किए बिना उक्त अन्य परिसरों से उक्त माल का अंतरण कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर केवल तब संदेय नहीं होगा जब माल का प्रेषण करने वाला व्यक्ति और फुटकर कर्मकार नियत दिन को उक्त व्यक्ति की ओर से फुटकर कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे गए निवेशों या माल के ब्यौरों को ऐसी रीति और रूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, घोषित करता है ।

प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

20. (1) जहां ऐसा कोई माल जिस पर कर, यदि कोई हो, उसके ऐसे विक्रय, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पहले का नहीं है, के समय विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किया गया था, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान को लौटाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए वहां पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है और ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पहचान योग्य है :

परंतु यदि उक्त माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस लौटाया जाता है तो ऐसे माल की वापसी को प्रदाय समझा जाएगा ।

(2) (क) जहां नियत दिन से पूर्व की गई संविदा के अनुसरण में, किसी माल की कीमत नियत दिन को या उसके पश्चात् बढ़ जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का विक्रय किया था, ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला अनुपूरक बीजक या नामे नोट प्राप्तिकर्ता को जारी करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा अनुपूरक बीजक या नामे नोट इस अधिनियम के अधीन किए गए बाह्य प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किया हुआ समझा जाएगा ।

(ख) जहां नियत दिन से पूर्व की गई संविदा के अनुसरण में, किसी माल की कीमत नियत दिन को या उसके पश्चात् घट जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का विक्रय किया था, ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर, ऐसी विशिष्टियाँ, जो विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला जमापत्र, प्राप्तिकर्ता को जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा जमापत्र इस अधिनियम के अधीन किए गए बाह्य प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किया हुआ समझा जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जमापत्र के जारी किए जाने के मद्दे उसके कर दायित्व को कम करने के लिए केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब जमापत्र के प्राप्तिकर्ता ने कर दायित्व की ऐसी कमी के तत्समान अपने निवेश कर प्रत्यय को कम कर लिया है ।

(3) विद्यमान विधि के अधीन संदत्त निवेश कर प्रत्यय, कर, ब्याज की किसी रकम या संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए नियत दिन से पहले, उस दिन को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जाएगा और उसको अन्ततोगत्वा प्रोद्भूत कोई रकम उक्त विधि के उपबन्धों के अनुसार नकद रूप में उसे प्रतिदाय की जाएगी :

परंतु जहां निवेश कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णतया या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार अस्वीकार की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परंतु यह और कि कोई प्रतिदाय निवेश कर प्रत्यय की किसी रकम के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनयम के अधीन अग्रनीत किया गया है ।

(4) नियत दिन से पहले या उसके पश्चात् निर्यात किए गए माल के सम्बन्ध में विद्यमान विधि के अधीन संदत किसी कर के प्रतिदाय के लिए नियत दिन के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जाएगा :

परंतु जहां निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णतया या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार अस्वीकार की गई रकम व्यपगत हो जाएगी :

परंतु यह और कि कोई प्रतिदाय निवेश कर प्रत्यय की किसी रकम के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया

गया है ।

(5) (क) निवेश कर प्रत्यय के लिए दावे से सम्बन्धित अपील पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का, विद्यमान विधि के अधीन चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, निपटान किया जाएगा और दावाकर्ता को ग्राह्य पाई जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम, विद्यान विधि के उपबन्धों के अनुसार उसको नकद रूप में वापस लौटायी जाएगी और अस्वीकृत रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी :

परंतु कोई प्रतिदाय निवेश कर प्रत्यय की किसी रकम के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां नियत दिन को उक्त रकम का अतिशेष इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है ।

(ख) निवेश कर प्रत्यय की वसूली से सम्बन्धित अपील पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के प्रत्येक कार्यवाही की विद्यमान विधि के अधीन, चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटान किया जाएगा और यदि प्रत्यय की कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है तो वह विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल नहीं कर ली जाती है, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(6) (क) किसी उत्पादन कर दायित्व से सम्बन्धित अपील पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का, विद्यमान विधि के अधीन चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटान किया जाएगा और यदि ऐसी कोई रकम ऐसी पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है तो उसे विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल नहीं कर लिया जाता, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन उत्पादन कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(ख) किसी उत्पादन कर दायित्व से सम्बन्धित अपील पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही का, विद्यमान विधि के अधीन चाहे वह नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटान किया जाएगा और दावेदार को ग्राह्य पाई जाने वाली कोई रकम उसे विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार नकद रूप में लौटा दी जाएगी तथा अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन कर निवेश प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(7) (क) जहां निर्धारण या संस्थित की गई न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ, चाहे वे विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित की गई हैं, के अनुसरण में, कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है, वहां वह, जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल नहीं कर ली जाती है, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(ख) जहां निर्धारण या न्याय निर्णयन कार्यवाहियाँ, चाहे वे विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से पहले, नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित की गई हैं, वहां कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है, तो वह उसे उक्त विधि के अधीन नकद रूप में वापस की जाएगी और अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत कोई विवरणी नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित

की जाती है और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पायी जाती है या निवेश कर प्रत्यय की कोई रकम अग्राह्य पायी जाती है तो वह रकम जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल नहीं कर ली जाती है, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम, इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय ग्राह्य के रूप में नहीं होगी ।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत कोई विवरणी नियत दिन के पश्चात् किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में, कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय पायी जाती है या किसी कराधेय व्यक्ति को निवेश कर प्रत्यय ग्राह्य पाया जाता है तो वह रकम विद्यमान विधि के अधीन नकद रूप में उसे वापस लौटा दी जाएगी और अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन निवेश कर प्रत्यय के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

(9) इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाय, नियत दिन से पूर्व की गई संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रदाय किए गए माल या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर की दायी होंगी ।

(10) (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कर इस अधिनियम के अधीन माल पर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा, जिस तक कर विद्यमान विधि के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहणीय था ।

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर कोई कर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा, जिस तक उक्त सेवाओं पर कर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय था ।

1994 का 32

(ग) जहां कर किसी प्रदाय पर, माल के विक्रय से सम्बन्धित किसी विद्यमान विधि के अधीन और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन दोनों के अधीन संदत्त किया गया था, वहां कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय होगा और कराधेय व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का प्रत्यय नियत दिन के पश्चात् किए गए प्रदायों की सीमा तक लेने का हकदार होगा और ऐसा प्रत्यय ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

1994 का 32

(11) जहां नियत दिन से पहले छह मास से अपूर्व अनुमोदन आधार पर भेजा गया कोई माल क्रेता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, उसे अनुमोदित नहीं किया जाता है और नियत दिन को या उसके पश्चात् विक्रेता को वापस लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर लौटाया जाता है :

परंतु छह मास की उक्त अवधि, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर, दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढाई जा सकेगी :

परंतु यह और कि माल को वापस करने वाला व्यक्ति द्वारा कर संदेय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस लौटाया जाता है :

परंतु यह भी कि कर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन आधार पर माल भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर से दायी है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस लौटाया जाता है ।

(12) जहां प्रदायकर्ता ने माल का कोई ऐसा विक्रय किया है जिसके सम्बन्ध में कर माल के विक्रय से सम्बन्धित किसी विद्यमान विधि के अधीन स्रोत पर कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित था और नियत दिन से पहले उसके लिए बीजक भी जारी किया है, वहां केन्द्रीय माल और सेवा कर

अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कोई कटौती, इस अधिनियम को लागू किए गए अनुसार, उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा वहां नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत दिन को या उसके पश्चात् किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "पूंजीमाल" पद का वही अर्थ होगा जो माल के विक्रय से सम्बन्धित किसी विद्यमान विधि में उसका है ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होना ।

21. इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित से सम्बन्धित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध,—

(i) प्रदाय की परिधि ;

(ii) सम्मिश्रण उद्ग्रहण;

(iii) संयुक्त प्रदाय और मिश्रित प्रदाय ;

(iv) प्रदाय का समय और मूल्य ;

(v) निवेश कर प्रत्यय ;

(vi) रजिस्ट्रीकरण ;

(vii) कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट ;

(viii) लेखा और अभिलेख ;

(ix) विवरणियां ;

(x) कर का संदाय ;

(xi) स्रोत पर कर कटौती ;

(xii) स्रोत पर कर संग्रहण ;

(xiii) निर्धारण ;

(xiv) प्रतिदाय ;

(xv) संपरीक्षा ;

(xvi) निरक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी ;

(xvii) मांग और वसूली ;

(xviii) कतिपय मामले में संदाय करने का दायित्व ;

(xix) अग्रिम विनिर्णय ;

(xx) अपील और पुनरीक्षण ;

(xxi) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा ;

(xxii) अपराध और शास्तियां ;

(xxiii) फुटकर कर्मकार ;

(xxiv) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ;

(xxv) निधियों का परिनिर्धारण ;

(xxvi) संक्रमणकालीन उपबन्ध ; और

(xxvii) प्रकीर्ण उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत ब्याज और शास्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं,

आवश्यक परिवर्तनों सहित,—

(क) संघ राज्यक्षेत्र कर के सम्बन्ध में, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होते हैं मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हों;

(ख) निम्नलिखित ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों जिन्हें केन्द्रीय सरकार इन उपबन्धों को परिस्थितियों के प्रति अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझती है, के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, अर्थात्,—

(i) "इस अधिनियम" के प्रतिनिर्देश "संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे ;

(ii) "आयुक्त" के प्रति निर्देश इस अधिनियम की धारा 2 का उपखंड (2) में यथापरिभाषित संघ राज्यक्षेत्र का "आयुक्त" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे ;

(iii) "केन्द्रीय कर अधिकारी" के प्रतिनिर्देश "संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे ;

(iv) "केन्द्रीय कर" के प्रति निर्देश "संघ राज्यक्षेत्र कर" और विपर्ययेन के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(v) "राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय कर आयुक्त" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे ;

(vi) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" के प्रति निर्देश समझे जाएंगे ;

(vii) "राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर" के प्रति निर्देश "केन्द्रीय कर" के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या विहित किए जाएं या जिनके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबन्ध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों या उनमें से किसी नियम को उस तारीख से, जो उस तारीख से पूर्वतर नहीं है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम में यह उपबन्ध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन दस हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।

विनियम बनाने की साधारण शक्ति ।

23. बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

24. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना उसे बनाए जाने या जारी किए जाने के तुरन्त पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्र में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरन्त पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन यथास्थिति नियम या उपनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसा नियम या विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए, यथास्थिति, ऐसा नियम या विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी; तथापि, यथास्थिति, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण इस नियम या विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

अनुदेश या निदेश देने की शक्ति ।

25. आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के क्रियान्वयन में एकरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और तदुपरि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन करेंगे और अनुसरण करेंगे ।

कठिनाइयों को दूर करना ।

26. (1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समीचीन हो सकें :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, संविधान, केंद्रीय सरकार को विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क और सेवाओं के प्रदाय पर सेवा कर उद्ग्रहीत करने के लिए सशक्त करता है । समान रूप से वह राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को मालों के विक्रय पर विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर उद्ग्रहीत करने के लिए सशक्त करता है । इसके साथ-साथ, राज्य, स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर, प्रवेश कर भी उद्ग्रहीत करते हैं । यह देश में अप्रत्यक्ष करों की बाहुल्यता को अधिकथित राजकोषीय शक्तियों का अनन्य विभाजन है ।

2. संघ राज्यक्षेत्रों में मालों और सेवाओं पर वर्तमान कर प्रणाली कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रही है, जो निम्नलिखित हैं :--

(क) केंद्रीय और राज्य स्तर पर करों की बाहुल्यता के परिणामस्वरूप देश में अप्रत्यक्ष कर संरचना जटिल है, जो व्यापार और उद्योग के लिए अप्रकट लागत के वशीभूत है ;

(ख) राज्यों में सामान्य रूप से करों की दर और संरचना में कोई एकरूपता नहीं है और वहां "कर पर कर" के कारण करों की अधिकता है ; और

(ग) व्यापारियों को विनिर्माण प्रक्रम पर संदत्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर का प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, जब राज्य स्तरीय विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर और विपर्ययेन का संदाय करते हैं, इसके अतिरिक्त, एक राज्य में संदत्त राज्य करों का प्रत्यय अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं हो सकता है । अत:, करों पर कर के इस सीमा तक विस्तार से मालों और सेवाओं के मूल्य में कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति होती है ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 नामक केंद्रीय विधान लाया जाना आवश्यक होगा । प्रस्तावित विधान केंद्रीय सरकार को मालों और सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर, जो बिना विधान सभा वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर होता है, माल और सेवा कर उद्ग्रहीत करने के लिए शक्ति प्रदत्त करेगा ।

4. प्रस्तावित विधान, देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित करेगा । जिससे उत्पादों की लागत और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में कटौती की संभावना है, जिससे घरेलू के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय भारतीय व्यापार और उद्योग को अधिक प्रतियोगितात्मक बनाएगा । यह भी संभावना है कि माल और सेवा कर के पुर:स्थापित करने से भारतीय बाजार सामान्य या बाधारहित करने को पोषक हो सकेगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण सहायक होगा । एक स्तर से अन्य में निवेश कर प्रत्यय के बाधारहित अंतरण के कारण मूल्यवद्धि की श्रृंखला, माल और सेवा कर की परिकल्पना में अंत:निर्मित क्रियाविधि है, जो करदाताओं को कर का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी । प्रस्तावित माल और सेवा कर से कर आधार का विस्तार होगा और जिसका परिणाम संतुलित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचनाओं के कारण अधिक से अधिक कर अनुपालन में होगा ।

5. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया गया है, अर्थात् :--

(क) किसी अधिसूचित दर पर मानव उपयोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय के सिवाय, मालों या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदाय पर उद्ग्रहीत कर सेवा और माल कर परिषद् (परिषद्) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ख) परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा या विशेष आदेश द्वारा, छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना ;

(ग) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के मध्य निवेश कर प्रत्यय के अंतरण के मद्दे कर के प्रभाजन और निधियों के परिनिर्धारण के लिए उपबंध करना ;

(घ) प्रस्तावित विधान के अनुपालन में समुचित प्राधिकारियों को केंद्रीय कर अधिकारियों और राज्य कर अधिकारियों को पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और जो भू-राजस्व के संग्रहण में लगे है, के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत ग्राम अधिकारी भी है, की सहायता के लिए उपबंध करना ;

(ङ) केंद्रीय कर के समुचित अधिकारियों द्वारा सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज, शास्ति, जो असंदत्त है, की वसूली के लिए उपबंध करना ;

(च) विभाग से कराधान मामलों पर किसी बाध्यकारी स्पष्टता प्राप्त करने को करदाताओं को सशक्त करने के क्रम में अग्रिम विनिर्णय के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना करना ;

(छ) माल और सेवा कर व्यवस्था को विद्यमान करदाताओं के सहज अंतरण के लिए विस्तृत संक्रमणकालीन उपबंध करने के लिए उपबंध करना ;

(ज) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के कतिपय उपबंधों को लागू करना, अन्य बातों के साथ, प्रस्तावित विधान में प्रदाय का समय और मूल्य, निवेश कर प्रत्यय, रजिस्ट्रीकरण, विलंब फीस से भिन्न विवरणी, करों का संदाय, निर्धारण, प्रतिदाय, लेखा परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी, मांग और वसूली, अपील और पुनरीक्षण, अपराध और शास्ति तथा संक्रमणकालीन उपबंध से परिभाषाएं दी गई हैं ; और

(झ) संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने का आयुक्त को सशक्त करना ।

6. खंडों पर टिप्पण में संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों के ब्यौरे विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं ।

7. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
23 मार्च, 2017

अरूण जेटली

खंडों पर टिप्पण

खंड 1 प्रस्तावित अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2 प्रस्तावित अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है ।

खंड 3 प्रस्तावित अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आयुक्त और अधिकारियों के अन्य वर्गों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 4 प्रस्तावित अधिनियम के प्रशासन के लिए संघ राज्यक्षेत्र में सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे के संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासक को प्रदत्त करता है ।

खंड 5 संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों द्वारा शक्तियों का उपयोग करने के लिए शर्तें और अपवाद के लिए उपबंध करता है ।

खंड 6 प्रस्तावित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, समुचित अधिकारियों को, केंद्रीय कर अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत करने का उपबंध करता है ।

खंड 7 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर के प्रदाय के सिवाय, मालों या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर संघ राज्यक्षेत्र कर ऐसी दर पर, जो चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, को उद्गृहित करने का उपबंध करता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि,--

(i) पैट्रोलियम अपरिष्कृत, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पैट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर, संघ राज्यक्षेत्र कर, ऐसी तारीख से प्रभावी और उद्गृहीत होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचित की जाए ;

(ii) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, माल या सेवा के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों पर या दोनों के प्रदाय के लिए कर अधिसूचित करेगी, जिसमें ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर संदत्त होगा ;

(iii) किसी प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र कर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा ;

(iv) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी सेवाओं के प्रवर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जिनके अंतरराज्यिक प्रदाय पर कर इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त होगा, यदि ऐसी सेवाएं उसके द्वारा प्रदत्त की गई हैं ।

खंड 8 केन्द्रीय सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, संघ राज्यक्षेत्र कर के संपूर्ण या किसी भाग से या तो पूर्णत: या शर्तों पर किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों या सेवाओं या दोनों पर छूट प्रदान करने को सशक्त करता है । यह केंद्रीय सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, विशेष आदेश द्वारा, किंहीं मालों या सेवाओं या दोनों पर, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट प्रदान करने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 9 उस रीति और क्रम के लिए, जिसमें एकीकृत कर के निवेश कर प्रत्यय और संघ राज्यक्षेत्र के निवेश कर प्रत्यय का उपयोग किया जाना है, उपबंध करता है ।

खंड 10 संघ राज्यक्षेत्र कर प्रत्यय को एकीकृत कर खाते में अंतरण करने के लिए उपबंध करता है, जब संघ राज्यक्षेत्र कर प्रत्यय का उपयोग केंद्रीय कर के संदाय के लिए किया जाता है ।

खंड 11 इस अधिनियम के अनुपालन में अंतर्वलित अधिकारियों को, पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता के लिए उपबंध करता है ।

खंड 12 उस परिस्थिति में संघ राज्यक्षेत्र कर का प्रतिदाय, जहां अंतरराज्यिक प्रदाय पश्चात् में अंतरराज्यिक प्रदाय रोक दिया गया है, के लिए उपबंध करता है ।

खंड 13 केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा, संघ राज्यक्षेत्र कर, ब्याज और शास्ति की, जब केंद्रीय कर का बकाया वसूल करना हो, वसूली करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 14 अध्याय 7 में प्रयुक्त अग्रिम विनिर्णय, आवेदक, आवेदन आदि के रूप में प्रयुक्त पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है ।

खंड 15 केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के गठन का उपबंध करता है ।

खंड 16 केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के गठन का उपबंध करता है ।

खंड 17 विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत करदाताओं के, प्रस्तावित अधिनियम के अधीन प्रवर्जन होने के लिए अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपबंध करता है, यदि उक्त करदाता प्रस्तावित अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा रखते हैं ।

खंड 18 विद्यमान विधि के अधीन उपलब्ध निवेश कर प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 19 फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंधों का उपबंध करता है ।

खंड 20 विभिन्न परिस्थितियों में विद्यमान करदाताओं के संक्रमण के लिए प्रकीर्ण उपबंधों का उपबंध करता है ।

खंड 21 केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के प्रस्तावित अधिनियम को लागू होने का उपबंध करता है ।

खंड 22 प्रस्तावित अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, परिषद की सिफारिशों पर, नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को शक्तियां प्रदत्त करता है ।

खंड 23 प्रस्तावित अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने के लिए बोर्ड को शक्तियां प्रदत्त करता है ।

खंड 24 बनाए गए नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करता है ।

खंड 25 प्रस्तावित अधिनियम के उपबन्धों के एकरूप क्रियान्वयन के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की आयुक्त को शक्तियां प्रदत्त करता है ।

खंड 26 प्रस्तावित अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, परिषद की सिफारिशों पर, प्रस्तावित अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों से सुसंगत किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध करने की केंद्रीय सरकार को शक्तियां प्रदत्त करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 10 केन्द्रीय सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए इस विधेयक के अधीन कर के प्रभाजन और निवेश प्रत्यय कर के उपयोग के अंतरण के मध्य निधियों का निपटान का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 15 का उपखंड (1) अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

3. विधेयक का खंड 16 का उपखंड (1) अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

4. विधेयक का खंड 21 का उपखंड (1) अग्रिम विनिर्णय और गैर-मुनाफाखोरी की अपीलों से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017 के उपबंधों को लागू करने के लिए उपबंध करता है । इस विधेयक के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन स्थापित होंगे । तथापि, इस विधेयक के अधीन कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय नहीं होगा ।

5. विधेयक के अधीन विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने में अतंर्वलित आवर्ती और अनावर्ती व्यय के निबंधनों में संपूर्ण विवक्षित व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन होगा । विधेयक के अधीन विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र के विद्यमान अधिकारी और कर्मचारी उपयोग में लाए जाएंगे । तथापि, इस प्रक्रम पर भारत की संचित निधि से होने वाले वास्तविक आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय का आकलन संभव नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक का खंड 22, सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित नियम बनाने के लिए सशक्त करता है :--

(क) धारा 7 के अधीन करों का संग्रहण ; (ख) रीति और समय, जिसमें धारा 10 के अधीन निवेश कर प्रत्यय अंतरित होगा ; (ग) वह रीति, जिसमें दोषपूर्वक संग्रहित और केंद्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र को संदत्त कर धारा 19 के अधीन प्रतिदाय हैं ; (घ) धारा 15 के अधीन अग्रिम विनिर्णय के प्राधिकरण के लिए सदस्यों की अर्हताएं, उनकी नियुक्ति की पद्धति तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ; (ङ) प्ररूप और रीति, जिनमें धारा 17 के अधीन अंनतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होंगे ; (च) रीति, जिसमें धारा 18 के अधीन निवेश कर प्रत्यय अग्रनीत होगा ; (छ) प्ररूप, रीति और समय, जिसमें धारा 19 के अधीन निमित्त विनिर्माता के स्टाक में धारित निवेश की फुटकर कर्मकारों की घोषणा होगी ; (ज) रीति, जिसमें धारा 20 के अधीन विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर पर प्रत्यय प्रगणित होगा ; और (झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाएं या किए जा सकेंगे या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाएं ।

2. विधेयक का खंड 23, बोर्ड को, किंहीं विषयों के लिए, जो अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे, जिनके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सकता है, विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में उक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—5433LS(CRC)—23-3-2017.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर वधेयक, 2017 का शु द्धपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	26	कर के	कर अ धनियम के
4	21	वह	उसका
4	40	अ धसूचना इस अ धनियम के अधीन जारी की गई अ धसूचना समझी जाएगी ।	अ धसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश, इस अ धनियम के अधीन जारी की गई, यथास्थिति, अ धसूचना या आदेश समझी जाएगी ।
14	26	निरक्षण	निरीक्षण
17	25	अन्तरराष्ट्रीय भारतीय	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय